

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 2(03634)खा.वि/स्था. प्र./2025

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

श्री विपीन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 18.01.2027 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2026 को उचित माध्यम से प्राप्त हुआ है।

अतः श्री विपीन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा को उनके स्वयं के अनुरोध पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-50 के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2027 से राजकीय सेवा से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सहायक निदेशक (सांख्यिकी), विभागीय भुगतान शाखा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. जिला रसद अधिकारी, कोटा।
9. श्री विपीन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।